

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005  
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, , फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/(डी-481/2013)/ अलेसे-III/1407 दिनांक :- 22/11/2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लिनक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	11171	श्री दिनेश कुमार शर्मा सहायक लेखाधिकारी-III	दिनांक 31.08.2024 से 01.09.2024 तक (शनिवार एवं रविवार) एवं 02.09.2024 का उपार्जित अवकाश	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन,  
संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांक:- एफ.4(ई)/(डी-481/2013)/ अलेसे-III/1407 दिनांक :- 22/11/2024  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. श्री दिनेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-III, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर।
4. (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हुते।
5. रक्षित निजी पत्रावली।



(के.जी. गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)